

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 581 का उत्तर

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

581. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु में कार्यान्वयाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और मूल परियोजना लागत और संशोधित परियोजना लागत का वर्ष क्या है और राज्य में इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई तथा खर्च की गई राशि कितनी है;
- (ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में परियोजना-वार विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ग) इन रेल परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को लोक सभा में श्री एस. वेंकटेशन के अतारांकित प्रश्न सं. 581 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): इस समय, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 11612.25 करोड़ रुपए की लागत वाली 871.11 कि.मी. लंबी 09 नई लाइन परियोजनाएं, 4293.75 करोड़ रुपए की लागत वाली 1056.68 कि.मी. लंबी 05 आमान परिवर्तन परियोजनाएं और 5673.10 करोड़ रुपए की लागत वाली 591.59 कि.मी. लंबी 08 दोहरीकरण परियोजनाएं, नियोजन/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन 22 परियोजनाओं की समग्र लागत 21,579.10 करोड़ रुपए है।

व्यय तथा उपलब्ध कराए गए परिव्यय सहित परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् [www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in)>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates>Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) और (ग): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक एक परियोजना से दूसरी परियोजना और एक स्थल से दूसरे स्थल की तुलना में भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंततः कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है। अतः परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

\*\*\*\*